

विज्ञापन संख्या 14

केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राचार्य, उप-प्राचार्य, पीजीटी, टीजीटी, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्राथमिक अध्यापकों की सीधी भर्ती

भारत सरकार द्वारा दूसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर नवम्बर 1962 में केंद्रीय केंद्रीय विद्यालयों (सेन्ट्रल स्कूल) की योजना अनुमोदित की गई थी। जिसमें यह सिफारिश की गई कि सरकार को स्थानांतरणीय केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए अबाधित शिक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना प्रारम्भ करनी चाहिए। परिणामस्वरूप शिक्षा मंत्रालय (वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय), भारत सरकार की एक इकाई के रूप में सेन्ट्रल स्कूल आर्गेनाइजेशन का प्रारम्भ किया गया।

प्रारम्भ में रक्षा कर्मिकों की सघनता वाले स्थानों पर चलाए जा रहे 20 रेजिमेंटल स्कूलों को शैक्षिक सत्र 1963-64 के दौरान सेंट्रल स्कूलों के रूप में लिया गया।

केंद्रीय विद्यालय संगठन का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम (1860 के XXI) के तहत 15 दिसम्बर 1965 को एक समिति के रूप में किया गया। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य उद्देश्य देश और विदेशों में सेन्ट्रल स्कूलों (केंद्रीय विद्यालयों) की स्थापना, उन्हें बनाए रखने, रख-रखाव, नियंत्रण और प्रबंध करना है। संगठन का पूर्ण रूप से वित्त-पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसके अधीन लगभग 1190 केंद्रीय विद्यालय हैं जिनमें तीन विद्यालय विदेशों में स्थित हैं। 05 शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान और 25 क्षेत्रीय कार्यालय देश भर में फैले हुए हैं।

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्राचार्य, उपप्राचार्य, स्नातकोत्तर अध्यापक (पी जी टी), प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (टी जी टी), पुस्तकालयाध्यक्ष, प्राथमिक अध्यापक (पी आर टी) और प्राथमिक अध्यापक (संगीत) जैसे शैक्षिक पदों पर भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लिखित परीक्षा ऑफलाइन पद्धति द्वारा आयोजित की जायेगी।

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे केविसं की वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन करें। अन्य साधनों/ माध्यमों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अनुसूची निम्न प्रकार है:-

- (i) केविसं की वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in : 24.08.2018
पर ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तारीख
- (ii) ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तारीख : 13.09.2018 (23:59 बजे तक)

पदवार और श्रेणीवार रिक्त स्थानों का ब्योरा निम्न प्रकार है:-

1. प्राचार्य (ग्रुप – ए)

अनारक्षित	अ.पि.वर्ग	अनु. जाति	अनु. जाति	जन	कुल	ओ एच	वी एच	एच एच	अन्य*
41	19	11	05		76	02	0	02	0

2. उप-प्राचार्य (ग्रुप – ए) –

अनारक्षित	अ.पि.वर्ग	अनु. जाति	अनु. जन जाति	कुल	ओ एच	बी एच	एच एच	अन्य*
117	57	31	15	220	03	03	02	0

3. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक (पी जी टी) (ग्रुप – बी)

क्रमांक	विषय	अनारक्षित	अ.पि.वर्ग	अनु. जाति	अनु. जन जाति	कुल	ओ एच	वी एच	एच एच	अन्य*
1	हिन्दी	22	19	07	04	52	01	0	0	0
2	अंग्रेजी	24	18	08	05	55	01	01	0	0
3	भौतिकी	25	13	12	04	54	0	0	0	0
4	रसायन विज्ञान	29	17	09	05	60	0	0	0	0
5	गणित	28	16	08	05	57	02	0	0	0
6	जीव विज्ञान	23	14	10	03	50	0	0	0	0
7	इतिहास	28	15	08	05	56	01	01	0	0

8	भूगोल	28	20	08	05	61	01	01	0	0
9	अर्थशास्त्र	28	16	08	04	56	01	01	0	0
10	वाणिज्य	21	10	11	03	45	01	0	0	0
11	कंप्यूटर विज्ञान	21	14	06	05	46	0	0	0	0
कुल		277	172	95	48	592	08	04	0	0

4. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी जी टी) (ग्रुप - बी)

क्रमांक	विषय	अनारक्षित	अ.पि.वर्ग	अनु. जाति	अनु.जन जाति	कुल	ओ एच	वी एच	एच एच	अन्य*
1	हिन्दी	134	71	40	20	265	04	04	0	0
2	अंग्रेजी	137	72	40	21	270	04	04	0	0
3	संस्कृत	61	36	18	09	124	02	02	0	0
4	विज्ञान	146	78	44	22	290	0	0	0	0
5	गणित	96	51	34	14	195	06	0	0	0
6	सामाजिक अध्ययन	219	118	65	33	435	06	07	0	0
7	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	45	31	14	07	97	0	0	0	0
8	कला शिक्षा	50	34	15	08	107	02	0	01	01
9	कार्य अनुभव	50	29	30	08	117	01	01	01	0
कुल		938	520	300	142	1900	25	18	2	01

5. पुस्तकालयाध्यक्ष (ग्रुप - बी)

अनारक्षित	अ.पि.वर्ग	अनु. जाति	अनु.जन जाति	कुल	ओ एच	वी एच	एच एच	अन्य*
24	14	08	04	50	01	0	01	0

6. प्राथमिक शिक्षक (ग्रुप - बी)

अनारक्षित	अ.पि.वर्ग	अनु. जाति	अनु.जन जाति	कुल	ओ एच	वी एच	एच एच	अन्य*
2672	1431	798	399	5300	80	80	0	0

7. प्राथमिक शिक्षक (संगीत) (ग्रुप - बी)

अनारक्षित	अ.पि.वर्ग	अनु.जाति	अनु.जन जाति	कुल	ओ एच	वी एच	एच एच	अन्य*
101	54	31	15	201	03	03	0	0

डी ओ पी टी के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय जापन के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों को 1% आरक्षण प्रदान किया जाए।

(क) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमताएँ, विशिष्ट अधिगम अक्षमताएँ तथा मानसिक रोग ।

(ख) बधिर एवं दृष्टिबाध्यता सहित खंड क तथा ख के अंतर्गत दी गई व्यक्तियों में बहु-अक्षमताएँ।

उपर्युक्त विज्ञापित रिक्तियां अनंतिम हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है अर्थात इनकी संख्याओं में वृद्धि/कमी हो सकती है।

2. विभिन्न श्रेणियों के पदों हेतु अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यताओं के विवरण, पे-लेवल, आयु-सीमा, आयु-सीमा में छूट, चयन प्रक्रिया और अन्य संबंधित ब्यौरे निम्न प्रकार हैं -

2.1: पात्रता मानदंड

(क) प्राचार्य पद हेतु

पे लेवल - 12 (₹78800-209200)

आयु सीमा: न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष (30.09.2018 के अनुसार)

अनिवार्य अर्हताएं

(क) शैक्षिक

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।

(II) बी. एड या समकक्ष शिक्षण डिग्री।

(ख) अनुभव

(i) केंद्र/राज्य सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में सदृश पद या प्राचार्य के पद पर पे लेवल -12 (₹78800 - 209200) में कार्यरत।

या

(ii) केंद्र / राज्य सरकार / केन्द्र या राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में पे लेवल -10 (₹56100 – 177500) में उप-प्राचार्य /सहायक शिक्षा अधिकारी जिसमें 05 वर्ष पीजीटी और 02 वर्ष उपप्राचार्य के रूप में होना चाहिए

या

(iii) केन्द्र / राज्य सरकार / केन्द्र या राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में पे लेवल -08 (₹47600 – 151100) में कार्यरत पीजीटी या लेक्चरर या समकक्ष पद पर कम से कम उपर्युक्त ग्रेड में 08 वर्ष की नियमित सेवा

या

(iv) टीजीटी के रूप में पे लेवल -07 (₹44900 – 142400) और पीजीटी के रूप में पे लेवल -08 (₹47600 – 151100) में 15 वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से पीजीटी के रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा होनी चाहिए।

वांछनीय अहर्ताएँ:

कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान

(क) उप-प्राचार्य के लिए –

पे-लेवल -10 (₹56100 – 177500)

आयु सीमा: न्यूनतम 35 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष (30.09.2018 को)

अनिवार्य योग्यताएं:

- 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर।
- 2) बी.एड अथवा समकक्ष शिक्षण डिग्री।
- 3) केन्द्र / राज्य सरकार / केन्द्र / अथवा राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में उप – प्राचार्य पद पर 02 वर्ष का अनुभव

या

केन्द्र / राज्य सरकार अथवा केन्द्र / राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में पीजीटी अथवा लेक्चरर पद पर 06 वर्ष का कार्यानुभव

या

केन्द्र / राज्य सरकार / अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में पीजीटी अथवा लेक्चरर और टीजीटी पद पर 10 वर्ष का कार्यानुभव जिसमें से कम से कम 03 वर्ष पीजीटी अथवा लेक्चरर पद पर कार्य किया हो।

वांछनीय:

कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।

6

क्रमांक	पद (विषय)	स्नातकोत्तर स्तर पर विषय
1	पीजीटी (अंग्रेजी)	अंग्रेजी
2	पीजीटी (हिन्दी)	हिन्दी या संस्कृत के साथ स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में।

आस्ट्रेलिया

किम्बी आन्वयता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों में कम से कम 50% अंकों सहित

या

स्नातकोत्तर एमएएससी पाठ्यक्रम

(क) एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से संबंधित विषय में दो वर्षीय इंटीग्रेटेड

पद क्रमांक 01 से 10 तक के लिए अतिवाच्य अर्हताएं:-

योग्यताएं:

अधिकतम आयु सीमा: 40 वर्ष (30.09.2018 को)

घं बेतल - 8 (₹ 47600 - 151100)

क्रमांक	पद (विषय)	अंग्रेजी	हिन्दी	भारतिका	रसायन विज्ञान	अभ्युक्ति	वाणिज्य	गणित	जीवविज्ञान	इतिहास	भूगोल	कम्प्यूटर विज्ञान
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

(ख) स्नातकोत्तर शिक्षकों के पदों हेतु

3	पीजीटी (भौतिकी)	भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/एप्लाइड फिजिक्स/न्यूक्लियर फिजिक्स
4	पीजीटी (रसायन विज्ञान)	रसायन विज्ञान/ बायो कॅमिस्ट्री
5	पीजीटी (अर्थशास्त्र)	अर्थशास्त्र/एप्लाइड अर्थशास्त्र/वाणिज्य अर्थशास्त्र
6	पीजीटी (वाणिज्य)	वाणिज्य में मास्टर डिग्री। (एप्लाइड/बिजनेस इकॉनॉमिक्स में एम कॉम की डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे)
7	पीजीटी (गणित)	गणित/एप्लाइड गणित
8	पीजीटी (जीवविज्ञान)	बोटनी/जुलॉजी/लाइफसाइंस/बायोसाइंस/जेनेटिक्स/माइक्रो बायोलॉजी/ बायो टेक्नोलॉजी/मोलक्यूलर बायोलॉजी/प्लांट फिजियोलॉजी बशर्ते कि उन्होंने बोटनी और जुलॉजी स्नातक स्तर पर पढ़ी हो।
9	पीजीटी (इतिहास)	इतिहास
10	पीजीटी (भूगोल)	भूगोल

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी एड या समकक्ष।

(ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण में दक्षता।

नोट: वे अभ्यर्थी जो केवल विशेष बी.एड. धारक हैं, पीजीटी के पद के लिए पात्र नहीं हैं।

वांछनीय अर्हताएँ: कम्प्यूटर एप्लिकेशन का ज्ञान।

11. पीजीटी (कम्प्यूटर विज्ञान) के पद हेतु

अर्हताएँ:

अनिवार्य अर्हताएँ:

1. निम्नलिखित में से किसी एक में न्यूनतम 50% अंक:-

भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/आईटी में विज्ञान/आईटी में बी.ई. या बी.टैक या समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में बी.ई. या बी. टैक. और कम्प्यूटर में में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी/ एमसीए/ कम्प्यूटर साइंस अथवा समकक्ष।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी(कंप्यूटर विज्ञान)/बीसीए या समकक्ष और इस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और किसी भी विषय विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

या

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डीओईएसीसी से 'बी' लेवल और किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री।

या

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डीओईएसीसी से 'सी' लेवल और ग्रेजुएशन।

(2) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम शिक्षण में दक्षता।

नोट: भविष्य में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी को बी. एड या समकक्ष डिग्री प्राप्त करनी होगी।
होगी।

(घ) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टी.जी.टी) के पद हेतु

क्रमांक	पद(विषय)
1	अंग्रेजी
2	हिंदी
3	सामाजिक अध्ययन
4	विज्ञान
5	संस्कृत
6	गणित
7	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा
8	कला शिक्षा
9	कार्य अनुभव

पे - लेवल - 7

(₹ 44900 - 142400)

अधिकतम आयु सीमा:

35 वर्ष (30.09.2018 को)

योग्यताएँ :

पद क्रमांक 1 से 6 के लिए अनिवार्य अर्हताएँ-

(क) एनसीआरईटी के क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज से संबंधित विषय में 50% अंकों सहित 04 (चार) वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री पाठ्यक्रम

या

संबंधित विषय/विषयों के कम्बिनेशन में न्यूनतम 50% अंकों सहित स्नातक डिग्री। विषयों के कम्बिनेशन में इलेक्टिव विषयों और भाषाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	पद	विषय
1	टीजीटी (अंग्रेजी)	समस्त तीनों वर्षों में अंग्रेजी एक विषय के रूप में
2	टीजीटी (हिंदी)	समस्त तीनों वर्षों में हिन्दी एक विषय के रूप में
3	टीजीटी (सामाजिक अध्ययन)	निम्नलिखित में से कोई दो विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा इनमें से एक इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य है।
4	टीजीटी (विज्ञान)	बोटनी, ज्यूलांजी, एवं कैमिस्ट्री
5	टीजीटी (संस्कृत)	समस्त तीनों वर्षों में संस्कृत एक विषय के रूप में
6	टीजीटी (गणित)	निम्नलिखित किन्हीं दो विषयों सहित गणित में स्नातक डिग्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर साइंस, सांख्यिकी

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी. एड अथवा समकक्ष।

(ii) एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए सीबीएसई द्वारा आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटैट) पेपर - 2 उत्तीर्ण किया होना चाहिए।

(iii) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण में दक्षता।

वांछनीय: - कम्प्यूटर एप्लिकेशन का ज्ञान।

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (प्र. स्ना. शि.) के पद हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:-

(क) आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी के पास व्यावसायिक अर्हता बी.एड. होनी चाहिए।

(ख) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सामाजिक अध्ययन) के पद के लिए:

1. अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों का अध्ययन किया गया हो:

(i) इतिहास में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान में से किसी एक विषय में न्यूनतम 50% अंक और स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50% अंक हों।

या

(ii) भूगोल में 50% अंकों के साथ इतिहास/अर्थशास्त्र/ राजनीति विज्ञान में से किसी एक विषय में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो एवं स्नातक में न्यूनतम 50% अंक हो।

2. स्नातक के सभी वर्षों में भूगोल/इतिहास में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो।
3. इतिहास में ऑनर्स डिग्री की स्थिति में इतिहास में 50% अंकों के साथ अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 50% अंकों के साथ भूगोल / अर्थशास्त्र/ राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया गया हो। स्नातक स्तर पर उपरोक्त अन्य विषयों में न्यूनतम 50% अंक हो एवं स्नातक न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो।
4. इसी प्रकार भूगोल में ऑनर्स डिग्री की स्थिति में, अभ्यर्थी ने स्नातक के प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष में इतिहास/अर्थशास्त्र/ राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया हो तथा भूगोल में 50% अंक तथा अन्य विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो तथा स्नातक न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण किया हो।

(ग) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (गणित) के पद के लिए: --

1. अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के सभी वर्षों में गणित के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी में से किन्हीं दो विषयों का अध्ययन किया हो।
2. गणित में ऑनर्स डिग्री की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक स्नातक के सभी वर्षों में गणित का अध्ययन किया हो, क्रम संख्या 1 में दर्शाए गए विषयों में से दो विषयों में 50% अंक प्रत्येक विषय में अर्जित किए हो एवं स्नातक न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो।
3. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (गणित) के पद हेतु गणित में बी.ए. (ऑनर्स) तथा किसी अन्य विषय में बी.एस.सी.
4. (ऑनर्स) के अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं।

(घ) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (विज्ञान) के पद के लिए:

1. अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के सभी वर्षों में वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ अध्ययन किया गया हो।

2. वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनर्स न्यूनतम 50% अंकों के साथ वनस्पति विज्ञान / जीव विज्ञान / रसायन विज्ञान में बीएससी न्यूनतम 50% अंकों के साथ तथा अन्य दो विषयों का स्नातक स्तर पर प्रत्येक में न्यूनतम 50% अंकों के साथ अध्ययन किया हो।

(ड) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (अंग्रेजी/हिन्दी/संस्कृत) के पद के लिए:

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (अंग्रेजी/हिन्दी/संस्कृत) के पद के लिए अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के सभी वर्षों में अंग्रेजी/हिन्दी/संस्कृत का अध्ययन किया हो तथा स्नातक के सभी वर्षों में अंग्रेजी/हिन्दी/संस्कृत में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो। उन्हें स्नातक में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा), (कला शिक्षा) एवं (कार्यानुभव)

अर्हताएँ:

क्रम सं.	पद विषय	अर्हताएँ एवं अनुभव
7	प्र. स्ना. शिक्षक (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा)	अनिवार्य: शारीरिक शिक्षा या समकक्ष में स्नातक डिग्री
8	प्र. स्ना. शि. (कला शिक्षा)	अनिवार्य: 1. ड्राइंग एवं पेंटिंग/स्कलपचर/ग्राफिक आर्ट में पाँच वर्षीय मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या समकक्ष मान्यता प्राप्त डिग्री 2. हिन्दी एवं अंग्रेजी में काम करने का अनुभव। वांछनीय: कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान।
9	प्र. स्ना. शि. (कार्यानुभव)	अनिवार्य: इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एवं इलेक्ट्रनिक्स: (i) उच्चतर माध्यमिक के बाद इलेक्ट्रिकल में तीन वर्षीय डिप्लोमा। राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग (डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता उच्चतर माध्यमिक होनी चाहिए)। या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री।

		<p>या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक। (ii) हिन्दी एवं अंग्रेजी में कार्य करने का ज्ञान। वांछनीय:- (i) मान्यताप्राप्त कार्यशाला व संस्था/ फैक्ट्री में एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। (ii) कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान।</p>
--	--	--

(ड) पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए --

पे लेवल - 7 (₹ 44900 - 142400)

अधिकतम आयु-सीमा 35 वर्ष (30.09.2018 को)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री अथवा स्नातक डिग्री के साथ पुस्तकालय विज्ञान में एक वर्षीय डिप्लोमा ।

(ii) हिंदी और अंग्रेजी में कार्य करने का अनुभव ।

वांछनीय :

कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान।

प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक (संगीत)

पे लेवल: ₹35400 - 112400

अधिकतम आयु सीमा: 30 वर्ष (30.09.2018 को)

अर्हताएँ

क्रम सं.	पद	अर्हताएँ
1	प्राथमिक शिक्षक	1. न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट या समकक्ष तथा एलिमेन्ट्री एजुकेशन (किसी भी नाम से जाना जाता हो) में 02 वर्षीय डिप्लोमा या

		<p>न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष तथा 04 वर्षीय एलिमेन्ट्री एजुकेशन स्नातक</p> <p>या</p> <p>न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष तथा 02 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (विशेष एजुकेशन)</p> <p>या</p> <p>न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बी. एड जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से से बी.एड की अर्हता प्राप्त की है उन्हें भी कक्षा I-I-V हेतु प्राथमिक शिक्षक पद के लिए विचार किया जायेगा परंतु कि इस प्रकार से नियुक्त शिक्षक को को प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति के के 02 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त मान्यताप्राप्त एलिमेन्ट्री एजुकेशन में 06 माह का का (ब्रिज) सेतू पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।</p> <p>2. भारत सरकार द्वारा आयोजित केन्द्रीय शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो।</p> <p>3. हिन्दी एवं अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाने की क्षमता।</p> <p>वांछनीय: कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान।</p>
2	प्राथमिक शिक्षक (संगीत)	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट या समकक्ष एवं मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में में स्नातक उपाधि या समकक्ष उपाधि।</p> <p>(ii) अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम से पढ़ाने की क्षमता</p> <p>वांछनीय: कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान।</p>

प्राथमिक शिक्षक (संगीत) के पद हेतु अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश:

1. अभ्यर्थी जिन्होंने संगीत में डिप्लोमा किया है वे प्राथमिक शिक्षक (संगीत) के पद हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

2.2 आयु सीमा में छूट:

अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नवत होगी:-

क्रम सं.	अभ्यर्थी की श्रेणी	आयु सीमा में छूट की सीमा / छूट
(क)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
(ख)	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
(ग)	महिला (समस्त श्रेणी) केवल शैक्षिक पद हेतु (प्राचार्य एवं उप-प्राचार्य को छोड़कर)	10 वर्ष
(घ)	केविसं कर्मचारी	कोई आयु सीमा नहीं
(ङ.)	केंद्रीय सरकार में निरंतर 3 वर्ष की सेवा करने का अनुभव बशर्ते कि पद उसी अथवा एलाइड संवर्ग का हो (आवेदक को इस पैरा के तहत आयु में छूट के दावे हेतु अपने नियोक्ता से एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें इस आशय का उल्लेख हो कि विज्ञापन की तारीख को वह सरकारी सेवा में है)।	5 वर्ष (सामान्य) 10 वर्ष (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) 08 वर्ष (अन्य पिछड़ा वर्ग)
(च)	01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अधिवासित व्यक्ति	5 वर्ष
(छ)	निःशक्त व्यक्ति (महिला सहित) (i) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (iii) सामान्य	15 वर्ष 13 वर्ष 10 वर्ष
(ज)	पूर्व सैनिक 1. पूर्व सैनिक (सामान्य) (केवल गुप -ए पदों के लिए) 2. पूर्व सैनिक (अन्य पिछड़ा वर्ग) (केवल गुप - ए पदों के लिए)	5 वर्ष 8 वर्ष (3 वर्ष + 5 वर्ष)

	3. पूर्व सैनिक (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) (केवल ग्रुप -ए पदों के लिए)	10 वर्ष (5 वर्ष + 5 वर्ष)
(झ)	पूर्व सैनिक 1. पूर्व सैनिक (सामान्य) (केवल ग्रुप -बी पदों के लिए) 2. पूर्व सैनिक (अन्य पिछड़ा वर्ग) (केवल ग्रुप - बी पदों के लिए) 3. पूर्व सैनिक (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) (केवल ग्रुप - बी पदों के लिए)	भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के दिन वास्तविक आयु में से मिलिट्री सेवा की अवधि को घटाने के उपरांत 3 वर्ष। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के दिन वास्तविक आयु में से मिलिट्री सेवा की अवधि को घटाने के उपरांत 6 वर्ष (3 वर्ष + 3 वर्ष) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के दिन वास्तविक आयु में से मिलिट्री सेवा की अवधि को घटाने के उपरांत 8 वर्ष (3 वर्ष + 5 वर्ष)

नोट: उपरोक्त सभी रियायतें समवर्ती होंगी। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक रियायत के लिए लिए पात्र हो तो उच्चतम अनुमेय सीमा की कोई एक रियायत ही प्रदान की जाएगी।

तथापि ग्रुप 'ए' पदों के लिए वे पूर्व सैनिकों और कमीशंड अफसरों तथा आपातकालीन कमीशंड अफसर अथवा अन्य सेवा कमीशंड अफसर जिन्होंने सैन्य सेवा में कम से कम 05 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो और निम्न के कारण कार्यमुक्त हो चुके हैं।

- 1) सुपुर्द किये गये कार्य के पूर्ण होने पर (जिन्हें सुपुर्द किये गये कार्य को एक वर्ष पूर्ण होने को है।) बशर्ते कि उन्हें कदाचार या अदक्षता के कारण सेवा से पदच्युत या बर्खास्त न किया गया हो।

अथवा

2) सैन्य सेवा के लिए शारीरिक रूप से निःशक्त होने पर अथवा अमान्य होने पर ऊपरी आयु-सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

ग्रुप 'बी' और 'सी' पदों के लिए पूर्व सैनिक जिन्होंने सशस्त्र सेना (थल/जल/वायु सेना) में कम से कम छः माह की लगातार सेवा की है तो उन्हें ऐसी सेवा अवधि को अपनी वास्तविक आयु में से घटाने की अनुमति होगी और यदि प्राप्त आयु पद के लिए निर्धारित आयु सीमा से तीन तीन साल से अधिक नहीं हो तो ऐसे उम्मीदवार आयु सीमा की शर्त के अनुसार पात्र होंगे।

पूर्व सैनिक जिन्होंने पहले ही अपने पुनर्नियोजन में केन्द्र / राज्य सरकार में सिविल सेवा में नियमित रूप से ग्रुप 'सी' पद पर पूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण अथवा शुल्क छूट के लाभ ले लिए, पात्र नहीं होंगे।

फिर भी यदि कोई पूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार में कार्यग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पदों हेतु आवेदन करता है तो वह उत्तरवर्ती सेवायोजन के लिए पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ ले सकता है, अगर वह सिविल रोजगार में कार्यग्रहण करने के बाद डीओपीटी द्वारा जारी कार्यालय जापन सं. 36034/1/2014 – Estt (Res) Dated 14.08.2014 के अनुसार एक स्वः घोषणा / वचनबंध हाल ही में ग्रहण किए गए पद से पूर्व उसके द्वारा आवेदन किए गए विभिन्न पदों का तिथिवार विवरण तुरंत संबंधित नियोक्ता को देता है।

2.3 विभिन्न पात्रता मानदंडों (शैक्षिक योग्यताएं, आयु – सीमा, अनुभव इत्यादि) हेतु कट ऑफ तिथि 30.09.2018 होगी। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी 30.09.2018 को अपनी पात्रता की पुष्टि कर लें। केविसं केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के आधार पर उनकी पात्रता का सत्यापन करेगा जो चयन साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। केवल उन्हीं ओबीसी श्रेणियों पर विचार किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत नियुक्ति हेतु लागू हैं।

3: चयन प्रक्रिया

(क) अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। केविसं लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के कट-ऑफ का फैसला करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उपर्युक्त पदों एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता पात्रता स्थिति की चयन प्रक्रिया में केविसं का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। तथा इस संबंध में किसी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्राचार्य, उप-प्राचार्य, पी.जी.टी., टी.जी.टी., पुस्तकालयाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक (संगीत) की अंतिम मैरिट लिस्ट अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्रदर्शन के आधार पर होगी। प्राचार्य, उप-प्राचार्य, पी.जी.टी., टी.जी.टी., पुस्तकालयाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का वेटेज 85:15 होगा। प्राथमिक शिक्षक (संगीत) के पद हेतु लिखित परीक्षा, निष्पादन परीक्षा एवं साक्षात्कार का वेटेज 60:25:15 होगा।

(ख) उपर्युक्त उल्लिखित पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित 36 शहरों में आयोजित किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि आवेदनों की संख्या एवं प्रशासनिक कारणों से परीक्षा के लिए शहरों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है। प्राचार्य और उपप्राचार्य के पदों हेतु लिखित परीक्षा के लिए केंद्र केवल दिल्ली में ही होगा।

(ग)

क्रम सं.	परीक्षा शहर	क्रम सं.	परीक्षा शहर
01	आगरा	19	जोधपुर
02	अहमदाबाद	20	कानपुर
03	इलाहाबाद	21	कोलकाता
04	बेंगलुरु	22	लखनऊ
05	भोपाल	23	मदुरै
06	भुवनेश्वर	14	मंगलोर
07	चंडीगढ़	25	मुम्बई
08	चेन्नई	26	नागपुर
09	देहरादून	27	पटना
10	दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	28	पोर्ट ब्लेयर
11	गुवाहाटी	29	रायपुर
12	ग्वालियर	30	रांची
13	हैदराबाद	31	सिल्चर
14	इंफाल	32	सिलिगुडी
15	जबलपुर	33	तिरुवनंतपुरम
16	जयपुर	34	उदयपुर
17	जालंधर	35	वाराणसी
18	जम्मू	36	विजयवाड़ा

नोट: संगठन द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित परीक्षा केंद्र में परिवर्तित किए जा सकते हैं। जबकि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा हेतु चयनित केंद्र को आवंटित करने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। यदि पर्याप्त अभ्यर्थी किसी केंद्र को चयनित नहीं करते हैं या उस केंद्र को क्षमता से अधिक अभ्यर्थी चयनित करते हैं या फिर किसी अन्य प्रशासनिक कारण से संगठन अभ्यर्थी को कोई अन्य केंद्र आवंटित कर सकता है। एक बार आवंटित केंद्र को परिवर्तित करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को स्वयं के खर्च पर आवंटित केंद्र पर परीक्षा में उपस्थित होना होगा।

(ग) 40% या उससे अधिक अक्षमता के अभ्यर्थी अपने साथ सहायक लेकर आ सकते हैं। सहायक की शैक्षिक अर्हता एवं उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। 40% या उससे अधिक अक्षमता वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रति घंटा की दर से 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। दिव्यांग दिव्यांग जनों को भारत सरकार के नियमानुसार रिक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा।

(घ) उचित प्रवेश-पत्र के बिना किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(ङ) परीक्षा योजना -

प्राचार्य, उप प्राचार्य, पीजीटी, टीजीटी, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा पी आर टी के पदों के लिए परीक्षा योजना निम्नलिखित है:

प्राचार्य

परीक्षा अवधि-	150 मिनट	
कुल प्रश्न -	150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न	
कुल अंक -	150 अंक	
सैक्शन का नाम(प्रश्नों का प्रकार)	मदवार अंक	कुल मदों की सं.
भाग -I		
1. सामान्य अंग्रेजी	01 अंक प्रति	10 प्रश्न
2. सामान्य हिन्दी	प्रश्न	10 प्रश्न
भाग - II		
1. सामान्य ज्ञान एवं वर्तमान घटनाएं	01 अंक प्रति	10 प्रश्न
2. तार्किक योग्यता	प्रश्न	10 प्रश्न
3. कंप्यूटर साक्षरता		10 प्रश्न
भाग -III शिक्षा (50 अंक)	01 अंक प्रति	
क) बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (10)	प्रश्न	50 प्रश्न

i) बच्चे का विकास

विकास, वृद्धि तथा परिपक्वता - संकल्पना एवं प्रकृति विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक- बाल विकास की विधियां तथा उपागम - प्रेक्षण, साक्षात्कार, मामले का अध्ययन, प्रायोगात्मक, पार अनुभागीय और अनुदैर्घ्य विकास कार्य एवं जोखिम

ii) समझ अधिगम

संकल्पना, अधिगम की प्रकृति- विशिष्ट प्रक्रिया परिणाम, अधिगम के कारक वैयक्तिक एवं परिवेश संबंधी, अधिगम हेतु प्रवृत्ति तथा उनकी उपयोगिता- आचरण (स्किनर, पावलोव, थोरोडाइक), रचनावाद (प्लेजेट, वाइगोत्स्की) जेस्टाल्ट (कोह्लर, कोफका) तथा प्रेक्षणात्मक (बेंडुरा), अधिगम की वीमाएं- संज्ञानात्मक, प्रभावशाली तथा निष्पादन, उत्प्रेरण तथा जीविका- अधिगम में इसकी भूमिका, स्मृति और विसराना, अधिगम का अंतरण।

(iii) शिक्षा शास्त्रीय संबंध

शिक्षण तथा इसका अधिगम और शिष्य से संबंध, संदर्भ में शिष्य: समाज संबंधी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में स्थिति का अध्ययन करने वाला। व्यवहार समस्याओं का प्रबंधन, मार्गदर्शन तथा उपबोधन, दंड तथा इसमें विधिसम्मत निहितार्थ, बच्चे का अधिकार, समय प्रबंधन, अधिगम के लिए मूल्यांकन तथा अधिगम का मूल्यांकन में अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन सतत तथा विस्तृत मूल्यांकन, एन सी एफ, 2005 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में परिपेक्ष्य एवं अभ्यास समझ शिक्षण एवं अधिगम।

(ख) शिक्षा तथा विद्यालय संगठन का

परिप्रेक्ष्य (10)

(i) अधिनियम/अधिकार: स्वतंत्र तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 एवं बच्चों का अधिकार तथा बाल अधिकार।

(ii) राष्ट्रीय करीकुलम फ्रेमवर्क 2005: परिप्रेक्ष्य, अधिगम तथा ज्ञान, पाठ्यक्रम क्षेत्र, विद्यालय चरण तथा मूल्यांकन, विद्यालय तथा कक्षा परिवेश और प्रणालीगत प्रणालीगत सुधार।

(iii) विद्यालय संगठन: सांस्थानिक योजनाएँ, योजनाएँ, प्राचार्य एक नेता के रूप में, शिक्षक कोटि, अन्य संस्थानों से सहलग्नता तथा निकटता तथा विलोमतः, शिक्षक कोटि, शिक्षण का संगठन, सहपाठ्यचर्या गतिविधियाँ, कार्यालय प्रबंधन, अच्छे विद्यालय हेतु अपेक्षित संसाधन, संगठनात्मक परिवेश, मूल्यांकन, कर्मचारियों की जॉब संतुष्टि।

(ग) शिक्षण कार्यप्रणाली (10)

(i) पाठ्यक्रम: अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यक्रम के प्रकार, संगठन, पहुँच

(ii) योजना: अनुदेशात्मक योजना, वर्ष योजना, इकाई योजना, पाठ योजना

(iii) अनुदेशात्मक सामग्री तथा संसाधन : पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तकें, अनुपूरक सामग्री ए वी सहायता, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, क्लब- संग्रहालय-समुदाय, सूचना एवं संचार प्रयोगिकी।

(iv) मूल्यांकन : प्रकार, उपकरण, अच्छी जांच के गुण, सतत तथा विस्तृत मूल्यांकन विद्यालयी उपलब्धि, परीक्षा का विश्लेषण तथा तथा अभिव्यक्ति

4. समावेशित शिक्षा –(05)

(i) विविधता की समझ: संकल्पना प्रकार (विविधता के आयाम के रूप में अक्षमता)

<p>(ii) अक्षमता एवं सामाजिक रचनात्मकता के रूप में, अक्षमता का वर्गीकरण, तथा इसकी शैक्षिक विवक्षा</p> <p>क) सेंसरी इंपेयरमेंट (हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट एवं बहस अंधा)</p> <p>ख) कॉग्निटिव डिसएबिलिटीज: (ऑटिज़म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर, इन्टलैक्चुअल डिसएबिलिटी एवं विशिष्ट लर्निंग डिसएबिलिटी</p> <p>ग) शारीरिक अक्षमताएँ: सैलीब्रल पैल्सी तथा लोको मोटर)</p> <p>(iii) बच्चों तथा अक्षमता के संदर्भ में समावेशन का दर्शन</p> <p>(iv) समावेशन की प्रक्रिया: अक्षमता के संबंध में गंभीर मामले</p> <p>(v) संवैधानिक प्रावधान</p> <p>5. अधिगम का मूल्यांकन (10)</p> <p>(i) आधार संकल्पना तथा परावलोकन</p> <p>(ii) मूल्यांकन की वर्तमान प्रक्रियाओं का विश्लेषण</p> <p>(iii) कक्षा में मूल्यांकन तथा रिकॉर्ड कीपिंग</p> <p>(iv) फीडबैक</p> <p>6. शिक्षा तथा प्रयोगिकी – (05)</p> <p>(i) शैक्षिक प्रयोगिकी की समझ</p> <p>(ii) संप्रेषण तथा आपस में वार्तालाप</p> <p>(iii) शिक्षण तथा शिक्षण अधिगम सहायता का मॉडल</p> <p>(iv) शैक्षिक प्रयोगिकी में नवाचार</p>		
<p>भाग -iv प्रशासन तथा वित्त (50 अंक)</p> <p>(i) सी सी एस (सी सी ए) नियम</p> <p>(ii) सी सी एस (कंडक्ट) रूल्स</p> <p>(iii) फंडामेंटल एवं सप्लीमेंटरी रूल्स</p> <p>(iv) टी ए रूल्स</p> <p>(v) एल टी सी रूल्स</p> <p>(vi) मेडिकल अटेंडेंस रूल्स</p> <p>(vii) पेंशन रूल्स तथा न्यू पेंशन रूल्स</p>	<p>01 अंक प्रति प्रश्न</p>	<p>50 प्रश्न</p>

(viii) जी एफ आर- खरीद प्रक्रिया		
(ix) आयकर तथा जी एस टी		

साक्षात्कार -60 अंक

नोट: अंतिम योग्यता क्रम सूची अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंको का वेटेज 85:15 होगा।

उप प्राचार्य

परीक्षा अवधि-	150 मिनट	
कुल प्रश्न -	150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न	
कुल अंक -	150 अंक	
सैक्शन का नाम(प्रश्नों का प्रकार)	मदवार अंक	कुल मदों की सं.
भाग -I		
1. सामान्य अंग्रेजी	01 अंक प्रति प्रश्न	10 प्रश्न
2. सामान्य हिन्दी		10 प्रश्न
भाग - II		
1. सामान्य ज्ञान एवं वर्तमान घटनाएं	01 अंक प्रति प्रश्न	10 प्रश्न
2. तार्किक योग्यता		10 प्रश्न
3. कंप्यूटर साक्षरता		10 प्रश्न
भाग -III शिक्षा (50 अंक)	01 अंक प्रति प्रश्न	50 प्रश्न
(क) बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (10)		
i) बच्चों का विकास		
विकास, वृद्धि तथा परिपक्वता -- संकल्पना एवं प्रकृति विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक- बाल विकास की विधियां तथा उपागम -- प्रेक्षण, साक्षात्कार, मामले का अध्ययन, प्रयोगात्मक, पार अनुभागीय और अनुदैर्घ्य विकास कार्य एवं जोखिम।		
ii) समझ अधिगम		
संकल्पना, अधिगम की प्रकृति- विशिष्ट प्रक्रिया परिणाम, अधिगम के कारक वैयक्तिक एवं परिवेश संबंधी, अधिगम हेतु प्रवृत्ति तथा उनकी उपयोगिता- आचरण (स्कनर, पावलोव, थोरोडाइक), रचनावाद (प्लेजेट, वाइगोत्स्की) जेस्टाल्ट (कोह्लर,		

कोफका) बेंदुरा, अधिगम की सीमाएं- संज्ञानात्मक, प्रभावशाली तथा निष्पादन, उत्प्रेरण तथा जीविका- अधिगम में इसकी भूमिका, स्मृति और विसराना, अधिगम का अंतरण।

(iii) शिक्षा शास्त्रीय संबंध

शिक्षण तथा इसका अधिगम और शिष्य से संबंध, संदर्भ में शिष्य: समाज संबंधी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में स्थिति का अध्ययन करने वाला व्यवहार समस्याओं का प्रबंधन, मार्गदर्शन तथा उपबोधन, दंड तथा इसमें विधिसम्मत निहितार्थ, बच्चे का अधिकार, समय प्रबंधन, अधिगम के लिए मूल्यांकन तथा अधिगम का मूल्यांकन में अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन सतत तथा विस्तृत मूल्यांकन, एन सी एफ, 2005 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में परिपेक्ष्य एवं अभ्यास समझ शिक्षण एवं अधिगम।

(ख) शिक्षा तथा विद्यालय संगठन का परिप्रेक्ष्य (10)

(i) अधिनियम/अधिकार: स्वतंत्र तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 एवं बच्चों का अधिकार तथा बाल अधिकार।

(ii) राष्ट्रीय करीकुलम फ्रेमवर्क 2005: परिप्रेक्ष्य, अधिगम तथा ज्ञान, पाठ्यक्रम क्षेत्र, विद्यालय चरण तथा मूल्यांकन, विद्यालय तथा कक्षा परिवेश और प्रणालीगत प्रणालीगत सुधार।

(iii) विद्यालय संगठन: सांस्थानिक योजनाएँ, योजनाएँ, प्राचार्य एक नेता के रूप में, शिक्षक कोटि, अन्य संस्थानों से सहलग्नता तथा निकटता तथा विलोमता, शिक्षक कोटि, शिक्षण का संगठन, सहपाठ्यचर्या गतिविधियाँ, कार्यालय प्रबंधन, अच्छे

विद्यालय हेतु अपेक्षित संसाधन, संगठनात्मक परिवेश, मूल्यांकन, कर्मचारियों की जॉब संतुष्टि।

(ग) शिक्षण कार्यप्रणाली (10)

(i) पाठ्यक्रम: अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यक्रम के प्रकार, संगठन, पहुँच

(ii) योजना: अनुदेशात्मक योजना, वर्ष योजना, इकाई योजना, पाठ योजना

(iii) अनुदेशात्मक सामग्री तथा संसाधन : पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तकें, अनुपूरक सामग्री ए वी सहायता, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, क्लब- संग्रहालय-समुदाय, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।

(iv) मूल्यांकन : प्रकार, उपकरण, अच्छी जांच के गुण, सतत तथा विस्तृत मूल्यांकन विद्यालयी उपलब्धि, परीक्षा का विश्लेषण तथा तथा अभिव्यक्ति

4. समावेशित शिक्षा -(05)

(i) विविधता की समझ: संकल्पना प्रकार (विविधता के आयाम के रूप में अक्षमता)

(ii) अक्षमता एवं सामाजिक रचनात्मकता के रूप में, अक्षमता का वर्गीकरण, तथा इसकी शैक्षिक विवक्षा

क) सेंसरी इंपेयरमेंट (हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट एवं बहरा अंधा)

ख) कॉग्निटिव डिसएबिलिटीज: (ऑटिज़म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर, इन्टैल्क्युअल डिसएबिलिटी एवं विशिष्ट लर्निंग डिसएबिलिटी

ग) शारीरिक अक्षमताएं: सैलीब्रल पैल्सी तथा लोको मोटर)

(iii) बच्चों तथा अक्षमता के संदर्भ में समावेशन का दर्शन

(iv) समावेशन की प्रक्रिया: अक्षमता के संबंध में गंभीर मामले

(v) संवैधानिक प्रावधान 5. अधिगम का मूल्यांकन (10) (i) आधार संकल्पना तथा परावलोकन (ii) मूल्यांकन की वर्तमान प्रक्रियाओं का विश्लेषण (iii) कक्षा में मूल्यांकन तथा रिकॉर्ड कीपिंग (iv) फीडबैक 6. शिक्षा तथा प्रयोगिकी - (05) (i) शैक्षिक प्रयोगिकी की समझ (ii) संप्रेषण तथा आपस में वार्तालाप (iii) शिक्षण तथा शिक्षण अधिगम सहायता का मॉडल (iv) शैक्षिक प्रयोगिकी में नवाचार		
भाग -IV प्रशासन तथा वित्त (50 अंक) (i) सी सी एस (सी सी ए) नियम (ii) सी सी एस (कंडक्ट) रूल्स (iii) फंडामेंटल एवं सप्लीमेंटरी रूल्स (iv) टी ए रूल्स (v) एल टी सी रूल्स (vi) मेडिकल अटेंडेंस रूल्स (vii) आयकर तथा जी एस टी	01 अंक प्रति प्रश्न	50 प्रश्न

साक्षात्कार -60 अंक

नोट: अंतिम योग्यता क्रम सूची अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंको का वेटेज 85:15 होगा।

स्नातकोत्तर शिक्षक

(हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित, वाणिज्य एवं कंप्यूटर विज्ञान)

परीक्षा अवधि-	150 मिनट	
कुल प्रश्न -	150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न	
कुल अंक -	150 अंक	
सैक्शन का नाम(प्रश्नों का प्रकार)	मदवार अंक	कुल मदों की सं.
भाग -I		
1. सामान्य अंग्रेजी	01 अंक प्रति प्रश्न	10 प्रश्न
2. सामान्य हिन्दी		10 प्रश्न

25

<p>भाग - II</p> <p>1. सामान्य ज्ञान एवं वर्तमान घटनाएं</p> <p>2. तार्किक योग्यता</p> <p>3. कंप्यूटर साक्षरता</p> <p>4. शिक्षा शास्त्र</p> <p>(i) शिक्षा शास्त्र संबंधी</p> <p>(क) पाठ्यक्रम: अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यक्रम संगठन का प्रकार, पहुँच</p> <p>(ख) योजना: अनुदेश संबंधी योजना, इकाई योजना, पाठ योजना</p> <p>(ग) अनुदेश संबंधी सामग्री तथा संसाधन: पाठ्य पुस्तकें, वर्क बुक्स, अनपूरक सामग्री ए वी सहायता, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, क्लब-संग्रहालय समुदाय, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।</p> <p>(घ) मूल्यांकन: प्रकार, टूल्स, अच्छी परीक्षा के गुण, सतत तथा विस्तृत मूल्यांकन, विद्यालयी उपलब्धि परीक्षा का विश्लेषण तथा व्याख्या।</p> <p>(ii) समावेशन शिक्षा</p> <p>(क) विविधता की समझ: संकल्पना प्रकार (अक्षमता विविधता का एक आयाम)</p> <p>(ख) अक्षमता एक सामाजिक अवरचना, अक्षमता का वर्गीकरण तथा इसकी शैक्षिक विवशता</p> <p>(i) सेंसरी इंपेयरमेंट (हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट एवं बहरा अंधा)</p> <p>ii) कॉग्निटिव डिसएबिलिटीज: (ऑटिज़म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर, इन्टलैक्चुअल डिसएबिलिटी एवं विशिष्ट अधिगम डिसएबिलिटी</p> <p>(iii) शारीरिक अक्षमताएं: सैलिब्रल पैल्सी तथा लोको मोटर</p>	<p>01 अंक प्रति प्रश्न</p>	<p>10 प्रश्न</p> <p>10 प्रश्न</p> <p>10 प्रश्न</p> <p>20 प्रश्न</p>
<p>(ग) बच्चों के संदर्भ में अक्षमता के संबंध में समावेशन का दर्शन</p> <p>(घ) समावेशन की प्रक्रिया: अक्षमता क संबंध में गंभीर मामले</p> <p>(ड) संवैधानिक प्रावधान</p> <p>(च) शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी</p> <p>(iii) संप्रेषण तथा आपस में चर्चा</p>		

संप्रेषण का सिद्धांत: संप्रेषण के प्रकार संप्रेषण तथा तथा भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में रुकावटें		
5. संबंधित विषय (संबंधित विषय का पाठ्यक्रम के.वि.सं. की वेबसाइट पर उपलब्ध है)	01 अंक प्रति प्रश्न	80 प्रश्न

साक्षात्कार -60 अंक

नोट: अंतिम योग्यता क्रम सूची अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंको का वेटेज 85:15 होगा।

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक

(अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र तथा संस्कृत)

परीक्षा अवधि-	150 मिनट	
कुल प्रश्न -	150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न	
कुल अंक -	150 अंक	
सैक्शन का नाम(प्रश्नों का प्रकार)	मदवार अंक	मदों की सं.
भाग -I		
1. सामान्य अंग्रेजी	01 अंक प्रति प्रश्न	10 प्रश्न
2. सामान्य हिन्दी		10 प्रश्न
भाग - II		
1. सामान्य ज्ञान एवं वर्तमान घटनाएं	01 अंक प्रति प्रश्न	40 प्रश्न
2. तार्किक योग्यता		40 प्रश्न
3. कंप्यूटर साक्षरता		10 प्रश्न
4. शिक्षा शास्त्र		40 प्रश्न
(i) शिक्षा शास्त्र संबंधी		
(क) पाठ्यक्रम: अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यक्रम संगठन का प्रकार, पहुँच		
(ख) योजना: अनुदेश संबंधी योजना, इकाई योजना, पाठ योजना		
(ग) अनुदेश संबंधी सामग्री तथा संसाधन: पाठ्य पुस्तकें, वर्क बुक्स, अनपूरक सामग्री ए वी सहायता, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, क्लब-संग्रहालय समुदाय, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।		
(घ) मूल्यांकन: प्रकार, टूल्स, अच्छी परीक्षा के गुण, सतत तथा विस्तृत मूल्यांकन, विद्यालयी उपलब्धि		

परीक्षा का विश्लेषण तथा व्याख्या।

(ii) समावेशन शिक्षा

(क) विविधता की समझ: संकल्पना प्रकार
(अक्षमता विविधता का एक आयाम)

(ख) अक्षमता एक सामाजिक अवरचना, अक्षमता
का वर्गीकरण तथा इसकी शैक्षिक विवक्षा

(i) सेंसरी इंपेयरमेंट (हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल
इंपेयरमेंट एवं बहरा अंधा)

ii) कॉग्निटिव डिसएबिलिटीज: (ऑटिज़म स्पैक्ट्रम
डिसऑर्डर, इन्टलैक्चुअल डिसएबिलिटी एवं विशिष्ट
अधिगम डिसएबिलिटी

(iii) शारीरिक अक्षमताएं: सैलिब्रल पैल्सी तथा लोको
मोटर

(ग) बच्चों के संदर्भ में अक्षमता के संबंध में
समावेशन का दर्शन

(घ) समावेशन की प्रक्रिया: अक्षमता के संबंध में
गंभीर मामले

(ड) संवैधानिक प्रावधान

(iii) संप्रेषण तथा आपस में चर्चा

संप्रेषण का सिद्धांत: संप्रेषण के प्रकार संप्रेषण तथा
तथा भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में रुकावटें

(iv) अधिगम की समझ

संकल्पना, अधिगम की प्रकृति- निविष्ट प्रक्रिया-
परिणाम, अधिगम के कारक- वैयक्तिक एवं
परिवेशीय, अधिगम की पहुँच तथा उनकी
उपयोगिता - व्यावहारिकता (स्कनर, पावलोव,
थोरंडाइक) कंस्ट्रक्टिविजम (प्लाजेट, वायगोत्स्की),
गेस्टलट कोह्लर, कोफ्का) और प्रेक्षणीय (बेंडूरा,
अधिगम के आयाम- कोग्निटिव, प्रभावी तथा
निष्पादन, उत्प्रेरण तथा संधारण- अधिगम, स्मृति,
भूलना, अधिगम के अंतरण इसकी भूमिका ,
अधिगम गतिविधियों की रचना तथा कक्षा
प्रक्रियाएं, शिक्षा शास्त्र अभ्यास तथा प्रजातांत्रिक,
परिवेश के निर्माण जिसमें कक्षा में बच्चे के ज्ञान
तथा सामाजिक अनुभव का अपयोजन शामिल है।

साक्षात्कार -60 अंक

नोट: अंतिम योग्यता क्रम सूची अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंको का वेटेज 85:15 होगा।

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक

(शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा और कार्यानुभव)

परीक्षा अवधि-	150 मिनट		
कुल प्रश्न -	150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न		
कुल अंक -	150 अंक		
सेक्शन का नाम(प्रश्नों का प्रकार)	मदवार अंक	मदों की सं.	
भाग -I			
1. सामान्य अंग्रेजी	01 अंक प्रति		10 प्रश्न
2. सामान्य हिन्दी	प्रश्न		10 प्रश्न
भाग - II			
1. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी विषय	01 अंक प्रति		10 प्रश्न
2. तार्किक योग्यता	प्रश्न		10 प्रश्न
3. कंप्यूटर साक्षरता			10 प्रश्न
4. संबंधित विषय			100 प्रश्न
(संबंधित विषय का पाठ्यक्रम के.वि.सं. की वेबसाइट पर उपलब्ध है)			

साक्षात्कार -60 अंक

नोट: अभ्यर्थियों की अंतिम योग्यता सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंको का वेटेज 85:15 होगा।

2. पुस्तकालयाध्यक्ष

परीक्षा अवधि-	150 मिनट		
कुल प्रश्न -	150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न		
कुल अंक -	150 अंक		
सेक्शन का नाम(प्रश्नों का प्रकार)	मदवार अंक	मदों की सं.	
भाग -I			
1. सामान्य अंग्रेजी	01 अंक प्रति		10 प्रश्न
2. सामान्य हिन्दी	प्रश्न		10 प्रश्न

भाग - II		
1. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी विषय	01 अंक प्रति	10 प्रश्न
2. तार्किक योग्यता	प्रश्न	10 प्रश्न
3. कंप्यूटर साक्षरता		10 प्रश्न
4. संबंधित विषय (संबंधित विषय का पाठ्यक्रम के.वि.सं. की वेबसाइट पर उपलब्ध है)		100 प्रश्न

साक्षात्कार -60 अंक

नोट: अभ्यर्थियों की अंतिम योग्यता सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंको का वेटेज 85:15 होगा।

3. प्राथमिक शिक्षक

परीक्षा अवधि-150 मिनट		
कुल प्रश्न - 150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न		
कुल अंक - 150 अंक		
सेक्शन का नाम (प्रश्नों के प्रकार)	मदवार अंक	मर्दों की सं.
भाग -I		
1. सामान्य अंग्रेजी	01 अंक प्रति	10 प्रश्न
2. सामान्य हिन्दी	प्रश्न	10 प्रश्न
भाग - II		
1. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी	01 अंक प्रति	10 प्रश्न
2. तार्किक योग्यता	प्रश्न	10 प्रश्न
3. कंप्यूटर साक्षरता		10 प्रश्न
4. शिक्षा शास्त्र		20 प्रश्न
(i) बाल्यकाल एवं बच्चों का विकास: भविष्य में प्राप्य विकास, विकास में संभावित शारीरिक- मोटर विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, बाल्यकाल		
(ii) शिक्षा और पाठ्यचर्या: अधिकगम, सीखने वाला तथा अध्यापन, ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, व्यक्तिगत में सहयोग, शिक्षण में में अनुप्रयोग, ज्ञान और पूछताछ पद्धति, विद्यार्थी और उनके पाठ्यसामग्री, आई सी		

टी अधिगम प्रक्रिया एवं शिक्षण अभ्यास। (iii) कार्य पद्धति :- भाषा तथा प्रारम्भिक साक्षरता बोध, प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणितीय शिक्षा, सुनना तथा वाचन, पढ़ना, लिखना, भाषा तथा संप्रेषण, शिक्षण के लिए योजना, कक्षा-कक्षा प्रबंधन। (iv) विविधता, जेंडर तथा समावेशी शिक्षा: समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जेंडर, विद्यालय तथा समाज		
5. संबंधित विषय (संबंधित विषय का पाठ्यक्रम के.वि.सं. की वेबसाइट पर उपलब्ध है)	01 अंक प्रति प्रश्न	80 प्रश्न

साक्षात्कार -60 अंक

नोट: अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित तथा साक्षात्कार के आधार पर तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार का वेटेज 85:15 के अनुसार होगा।

4. प्राथमिक शिक्षक (संगीत)

परीक्षा अवधि-150 मिनट		
कुल प्रश्न – 150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न		
कुल अंक – 150 अंक		
सेक्शन का नाम(प्रश्नों का प्रकार)	मदवार अंक	मर्दों की सं.
भाग -I		
1. सामान्य अंग्रेजी	01 अंक प्रति प्रश्न	10 प्रश्न
2. सामान्य हिन्दी		10 प्रश्न
भाग – II		
1. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी विषय	01 अंक प्रति प्रश्न	10 प्रश्न
2. तार्किक योग्यता		10 प्रश्न
3. कंप्यूटर साक्षरता		10 प्रश्न
4. संबंधित विषय (संगीतशास्त्र) (संबंधित विषय का पाठ्यक्रम के.वि.सं. की वेबसाइट पर उपलब्ध है)		100 प्रश्न

साक्षात्कार -60 अंक

नोट: अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा, कार्य-निष्पादन परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा, कार्य-निष्पादन परीक्षा तथा साक्षात्कार का मूल्यांकन 60:25:15 के अनुसार होगा।

(च) परीक्षा की समय सारणी प्रवेश कार्ड के साथ सूचित की जाएगी तथापि विस्तृत परीक्षा का विवरण केविसं की वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in पर उपलब्ध होगा।

(छ) लिखित परीक्षा में निष्पादन और पदों की रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इस आशय की सूचना कुछ समय के अंतराल के बाद के.वि.सं. की वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी को चाहिए कि वे समय-समय पर केविसं की वेबसाइट को देखते रहें। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तथापि चयन करना केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्राधिकार में होगा जिसमें परिवर्तन परिवर्तन भी किया जा सकता है।

1. आवेदन कैसे करें -

- i. अभ्यर्थी, केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का कोई अन्य साधन / प्रकार स्वीकार्य नहीं होगा।
- ii. अभ्यर्थी का वैध निजी ईमेल आई डी एवं मोबाइल नंबर होना अपेक्षित है। किसी भी परिस्थिति में उसे चाहिए वह अपना ईमेल आईडी किसी अन्य व्यक्ति को न दे। इस ईमेल आईडी को भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। सभी पात्र उम्मीदवारों को ईमेल अथवा एसएमएस द्वारा विशिष्ट वेब पोर्टल से प्रवेश-पत्र डाउनलोड डाउनलोड करने की जानकारी दी जायेगी।
- iii. यदि अभ्यर्थी के पास कोई वैध निजी ईमेल आई डी नहीं है, तो उन्हें आवेदन करने से पूर्व नया ई-मेल आईडी बना लेना चाहिए।
- iv. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में पूर्ण विवरण ध्यानपूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन में दिए गए अनुदेशों के अनुसार अपना हाल का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अंगूठा स्कैन कर निर्धारित स्थान पर लगायें और इसे ऑनलाइन प्रस्तुत करें। सफलतापूर्वक आवेदन हो जाने पर लॉगइनआईडी और पासवर्ड निर्मित होंगे जो कि स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में उपयोग हेतु अपने लॉगइनआईडी और पासवर्ड नोट कर लें।
- v. एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

vi. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित लिंक से ऑनलाइन परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। पदवार देय परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से है :-

1. प्राचार्य	-	₹1500/-
2. उपप्राचार्य	-	₹1500/-
3. स्नातकोत्तर शिक्षक	-	₹1000/-
4. प्र० स्ना० शि० (टीजीटी)	-	₹1000/-
5. पुस्तकालयाध्यक्ष	-	₹1000/-
6. प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी)	-	₹1000/-
7. प्राथमिक शिक्षक (संगीत)	-	₹1000/-

(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातिय/दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को फीस में छूट भारत सरकार के नियमानुसार देय होगी)

vii अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट लेकर उस पर अपना हाल ही का एक फोटोग्राफ लगाकर अपने पास रिकार्ड के लिए रख लें और इसे केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पते अथवा किसी अन्य पते पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। फोटोग्राफ लगे आवेदन का प्रिंटआउट अपने स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र जैसे आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, जाति वैधता, नान क्रिमीलेयर, शारीरिक दिव्यांगता इत्यादि जैसा भी लागू हो, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

viii अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि और उसके माता-पिता का नाम आदि उसी प्रकार सही लिखा हो, जो उनके कक्षा 10 के प्रमाण-पत्र / अंक तालिका में लिखा गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना समस्त विवरण जैसे नाम, माता/पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, लिंग आदि सही-सही अर्थात् त्रुटिरहित भरें। परीक्षा के पश्चात तथा साक्षात्कार के समय श्रेणी / उप-श्रेणी इत्यादि संबंधी जानकारियों में परिवर्तन करने के अनुरोध को केविसं द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

ix लिखित परीक्षा / साक्षात्कार हेतु प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने के लिए केविसं की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। अभ्यर्थी केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट अर्थात् www.kvsangathan.nic.in से लिखित परीक्षा / साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे लिखित परीक्षा / साक्षात्कार हेतु प्रवेश-पत्र तथा अन्य अद्यतन सूचना हेतु नियमित रूप से केविसं की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। इस संबंध में केविसं द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा तथा न ही केविसं द्वारा इसके लिए कोई अलग से सूचना दी जाएगी।

x अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है यदि वह इसके लिए पात्र अथवा इच्छुक हो ऐसे मामलों में अभ्यर्थी को सभी आवेदित पदों के लिए अपेक्षित शुल्क जमा करना

होगा। तथापि, पी जी टी / टी जी टी श्रेणी के लिए अभ्यर्थी को केवल एक विषय में आवेदन करना होगा चूँकि पीजीटी / टीजीटी के सभी विषयों की लिखित परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाएगी।

महत्वपूर्ण तारीखें -

ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण खुलने की तारीख	24.08.2018
पंजीकरण बंद होने की तारीख	13.09.2018 (23:59 बजे तक)
लिखित परीक्षा की तारीख	इसे बाद में केविसं की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

5. अभ्यर्थी के लिए सामान्य अनुदेश:

1. ऊपर उल्लिखित प्राचार्य, उपप्राचार्य, पीजीटी, टीजीटी, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक (संगीत) के पदों की रिक्तियाँ अनंतिम हैं और इनमें वृद्धि या कमी की जा सकती है।
2. पी.जी.टी. (सभी विषय) व टी.जी.टी. (सभी विषय) पदों के लिए लिखित परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाएगी, अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे केवल अपने पद से संबंधित एक विषय में ही आवेदन करें। तथापि, अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के आवेदन कर सकते हैं, यदि वे दोनों पदों के लिए पात्र हैं।
3. परीक्षा समाप्ति के पश्चात ही अभ्यर्थी टेस्ट बुकलेट अपने साथ ले जा सकते हैं।
4. केविसं द्वारा आयोजित परीक्षा के संबंध में उत्तर पुस्तिका के पुनः जांच / मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।
5. केविसं द्वारा परीक्षा के उपरांत वेबपोर्टल पर ओएमआर शीट की इमेज तथा उत्तर कुंजी दी जाएगी जिसे निश्चित समयावधि तक डाउनलोड किया जा सकेगा।
6. अभ्यर्थी को उत्तर-कुंजी के संबंध में, यदि कोई आपत्ति हो, तो ऑनलाइन विंडो के माध्यम से निर्धारित समय अवधि के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अपनी आपत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन विंडो मोड के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरीके को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन विंडो मोड निर्धारित समयावधि के लिए ही उपलब्ध होगी, एक बार विंडो बंद हो जाने के पश्चात किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को आपत्ति प्रस्तुत करने की एवज में प्रति प्रश्न रु. 200/- का भुगतान करना होगा। यह फीस अप्रतिदेय होगी।

7. साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों की सूची साक्षात्कार के स्थान एवं तिथि तथा अंकों की कट ऑफ संबंधी जानकारी केविसं की वेबसाइट पर दी जाएगी।
8. अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु लिखित परीक्षा परिणाम/साक्षात्कार इत्यादि की संपूर्ण औपचारिकताओं के बाद केविसं की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएँगे। इस संबंध में अलग से किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. चयनित अभ्यर्थियों के अंतिम परिणाम (लिखित + साक्षात्कार) और कट ऑफ सूची केविसं की वेबसाइट पर पद / विषयावार प्रदर्शित की जाएगी। इस संबंध में अलग से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा।
10. यदि अंतिम परिणाम (लिखित परीक्षा + साक्षात्कार) में समान श्रेणी में दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो आयु में बड़े अभ्यर्थी को वरीयता प्राप्त होगी।
11. अभ्यर्थियों को उनकी अभ्यर्थिता के संबंध में परीक्षा से पहले अथवा परीक्षा के पश्चात किसी किसी भी प्रकार का पत्र-व्यवहार केविसं द्वारा नहीं किया जाएगा।
12. अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में की गई किसी भी प्रकार की सिफारिश के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
13. केविसं द्वारा अभ्यर्थी के पात्रता के बाबत उनका सत्यापन चयन प्रक्रिया से पूर्व या चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कभी भी किया जा सकता है। तथापि आवेदन फार्म में किसी सूचना के अभाव में या किसी अन्य कारण से किसी भी स्थिति (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि या उसके उपरांत) में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्र नहीं है तो उसकी अभ्यर्थिता तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
14. केविसं अपने विवेक पर, मामले की जरूरत के अनुसार आवश्यक होने पर उसी के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित कर सकता है। ऐसी घटना होने पर, अभ्यर्थी को अपने खर्चों पर दोबारा परीक्षा देनी होगी।
15. लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा।
16. चयनित अभ्यर्थी (प्राचार्य तथा उपप्राचार्य के पदों को छोड़कर) को ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके वरीयता क्रम के अनुसार किसी भी जोन में तैनात किया जा सकता है।
17. चयनित अभ्यर्थी प्रारंभ में दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

18. अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई योग्यता निश्चित रूप से निर्धारित योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। कोई अभ्यर्थी यदि समकक्ष योग्यता का दावा करता है जो अधिसूचित है, उसे साक्षात्कार / चयन के समय अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा ऐसे मामले निरस्त कर दिए जाएंगे। इसी तरह, जहाँ ग्रेड दिए गए हैं, उस स्थिति में अंक तालिकाओं की स्थिति जो अंकों के समकक्ष प्रतिशतता को दिखाती है, साक्षात्कार / चयन के समय प्रस्तुत करनी होगी।
19. हिंदी में अथवा किसी अन्य भाषा में विज्ञापन का अनुदित रूपांतर होने से किसी प्रकार की विसंगति अथवा परिवर्तन होने की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण को ही अंतिम माना जाएगा।
20. परीक्षा बुकलेट, उत्तर पुस्तिकाएं (ओ एम आर), आवेदन फार्मों इत्यादि को नियमावली के अनुसार निर्धारित अवधि तक रखा जायेगा उसके पश्चात उसका निपटान कर दिया जाएगा।
21. परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता की शर्तें पूर्ण करते हैं। परीक्षा में प्रवेश सभी स्तरों पर पूर्ण रूप से अस्थाई होंगे जो निर्धारित पात्रता की शर्तें पूर्ण होने पर योग्य मानी जाएगी।
22. अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र मात्र जारी करने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि केविसं द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है।
23. केवल केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर - II) उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिनके पास बी.एड की डिग्री है, वे टीजीटी (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन) के पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। स्पेशल बी.एड या डी.एड या स्पेशल डी.एड की व्यावसायिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होंगे।
24. प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर - I) उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी.एड), स्पेशल (डी.एड), डी.एल.एड / बी.एल.एड / बी.एड की व्यावसायिक योग्यता है, आवेदन करने के पात्र हैं।
25. सीटीईटी में 5% अंकों की छूट अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ी जाति और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को दी जाएगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्होंने सीटीईटी (पेपर - I / पेपर - II) 82 अंकों अथवा उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है वे अभ्यर्थी अपनी पात्रता के अनुसार टीजीटी (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन) तथा प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। वे अभ्यर्थी जिनके सीटीईटी परिणाम 26.07.2011 को घोषित हुए

थे वे टीजीटी तथा प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए योग्य नहीं होंगे चूंकि सीटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 वर्षों की होती है।

26. स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में काम करने वाले अभ्यर्थियों को आयु में छूट नहीं दी जाएगी ।

27. केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / अथवा केन्द्रीय / राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में नियमित / आधार पर कार्यरत अभ्यर्थियों की सेवाओं की गणना अपेक्षानुसार अनुभव के उद्देश्य से की जाएगी । तदर्थ / संविदात्मक सेवा और विभिन्न वेतनमानों के अन्यथा जिनका उल्लेख विज्ञापन में नहीं किया गया है, उन्हें अनुभव के उद्देश्य से से गणना में नहीं लिया जाएगा ।

28. सरकारी संगठनों में कार्य करने वाले अभ्यर्थी यदि उन्हें शार्ट लिस्ट किया जाता है तो साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र / सतर्कता / सेवा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

29. केवल उन्हीं ओबीसी अभ्यर्थियों को इस श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा जिनकी जातियाँ केन्द्रीय सरकार की ओबीसी की सूची में सम्मिलित हैं। साथ ही उन्हें क्रीमीलेयर से नहीं होना चाहिए ।

30. ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के पश्चात किसी भी चरण में श्रेणी में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा ऑनलाइन आवेदन में इंगित की गई श्रेणी के आधार पर ही परिणाम तैयार किए जायेंगे।

31. परीक्षा केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ, अथवा अन्य किसी प्रकार की संचार सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है । इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है तथा भावी परीक्षाओं के लिए बैन भी लगाया जा सकता है ।

32. चयनित अभ्यर्थी को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। हालांकि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में 06 जोन में तैनाती का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है, तथा उन्हें अपनी रुचि की वरीयता के आधार पर सभी 06 विकल्पों का चयन करना अनिवार्य है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थियों को उनकी वरीयता के आधार पर ही तैनाती दी जाएगी। केविसं अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए रिक्तियों की उपलब्धता तथा च्वाइस-कम-मेरिट सूची के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी की तैनाती कर सकता है।

ये जोन निम्न प्रकार हैं :-

क्रम सं	जोन का नाम	राज्य / संघ शासित प्रदेश जिसके अंतर्गत ये जोन आते हैं
1	सेंट्रल जोन	(1) छत्तीसगढ़ (2) मध्यप्रदेश (3) उत्तर प्रदेश
2	उत्तरी जोन	(1) चंडीगढ़ (2) दिल्ली (3) हरियाणा (4) हिमाचल प्रदेश (5) जम्मू तथा कश्मीर (6) पंजाब (7) उत्तराखंड
3	पूर्वी जोन	(1) बिहार (2) झारखंड (3) ओडीसा (4) पश्चिम बंगाल
4	पश्चिमी जोन	(1) दादर नगर हवेली (2) दमन तथा दीव (3) गोवा (4) गुजरात (5) महाराष्ट्र (6) राजस्थान राजस्थान
5	दक्षिणी जोन	(1) अंडमान तथा निकोबार (2) आंध्रप्रदेश (3) कर्नाटक (4) केरल (5) लक्षद्वीप (6) पुडुचेरी (7) तमिलनाडु (8) तेलंगाना
6	उत्तर-पूर्व जोन	(1) अरुणाचल प्रदेश (2) असम (3) मणिपुर (4) मेघालय (5) मिजोरम (6) नागालैंड (7) त्रिपुरा

33. इस भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के मामले में केवल दिल्ली क्षेत्राधिकार में स्थिति न्यायालय होगा।